# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 2/2018

**उनवान**

1. भागू पुत्र अन्ना समस्त जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. सज्जन सिंह पुत्र उगमा
3. कैशा पुत्र भागू
4. गैना पुत्र बीरमा
5. घीसी पत्नी बीरमा
6. पतासी पत्नी गोकन
7. पीथा पुत्र अन्ना
8. शंकर पुत्र आसू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें राज. पैरोकार,
अप्रार्थी संख्या 2 जरियें अधिवक्ता श्री मदनपुरी गोस्वामी

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 30/7/25

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि आराजी मुतनाजा के समस्त सहखातेदारों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तलब कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी के हाल खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.05 गै.मु. चाह, 1159 रकबा 0.20, 1160 रकबा 0.15 व 1233 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1230/0.18, 1231/0.10 व 1232/0.10 सिवायचक का उपयोग आवेदनकर्ता का परिवार करता हैं। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके पर व राजस्व मानचित्र में विधमान नही है। अतः प्रार्थीगण को आवागमन हेतु 15 फिट चोडा रास्ता प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में हितबद्ध व्यक्तियों को प्रकरण में [illegible] किया गया। अप्रार्थी सज्जन सिंह ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1158, 1159, 1160 व 1233 प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी की नही होकर अन्य सह खातेदारों की [illegible] जिसका विभाजन नही हुआ हैं। खसरा नम्बर 1159 व 1233 पर भौतिक रूप से [illegible] पुश्तैनी समय से [illegible] चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी से रास्ता मा[illegible] है वह भूमि सिवायचक [illegible] जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जवाबकर्ता व अन्य व्यक्तियों के मकानात बने हुये है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1110 व 1177 में से आवागमन करते है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 1158, 1159, 1160 व 1233 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1230, 1231 व 1233 में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1231, 1233, 1234 व 1159 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा नम्बर 1231 व 1234 सिवायचक है तथा खसरा नम्बर 1233 व 1159 प्रार्थीगण व अप्रार्िीगण की सह खातेदारी का है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना बताया गया है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1177 मुख्य मार्ग से अपनी सह खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नम्बर 1231, 1233, 1234 व 1159 के रास्ते का उपयोग करते है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि तक खसरा नम्बर 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1156 से वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है किन्तु वह दीर्घतम है। पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1230, 1231, 1232 में मकान बने हुये है किन्तु खसरा नम्बर 1231 के पूर्व दिशा में 15 फिट रास्ता छोड रखा है। उक्त रास्ता उत्तर से दक्षिण की तरफ सिवायचक खसरा नम्बर 1234 में से होकर प्रस्तावित आराजी तक जाता है। अप्रार्थी का कथन है कि खसरा नम्बर 1158, 1159, 1160 व 1233 प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी की नही होकर अन्य सह खातेदारों की भूमि है, जिसका विभाजन नही हुआ हैं। किन्तु विभाजन नही होने से प्रार्थीगण के रास्ता प्राप्त करने के अधिकार समाप्त नही होते है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि खसरा नम्बर 1159 व 1233 पर भौतिक रूप से उसका पुश्तैनी समय से कब्जा चला आ रहा है। किन्तु खसरा नम्बर 1159 व 1233 उभयपक्ष की सह खातेदारी में है। सहखातेदारी की आराजी पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी से रास्ता मांगा है वह भूमि सिवायचक है, जिस पर जवाबकर्ता व अन्य व्यक्तियों के मकानात बने हुये है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1110 व 1177 में से आवागमन करते है। किन्तु पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1230, 1231, 1232 में मकान बने हुये है किन्तु खसरा नम्बर 1231 के पूर्व दिशा में 15 फिट रास्ता छोड रखा है। उक्त रास्ता उत्तर से दक्षिण की तरफ सिवायचक खसरा नम्बर 1234 में से होकर प्रस्तावित आराजी तक जाता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौका रिपोर्ट में नही बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति भी पेश नही की है। अप्रार्थी का सिवायचक आराजी पर कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है। उक्त कब्जें के आधार पर प्रार्थीगण को मार्ग प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। अप्रार्थी का कब्जा उक्त सिवासचक खसरा नमबर पर अतिक्रमी की हैसियत से है। सिवायचक खसरा नम्बर 1231 में से 90 वर्ग मीटर व 1234 में [illegible] रास्तें के लिये प्रस्तावित की गयी है। खसरा नम्बर 1233 व 1159 प्रार्थीगण व [illegible] की सह खातेदारी का होने से उक्त खसरा नम्बर में से रास्ते के [illegible] मुआवजा अथवा प्रतिफल राशि अदा करने की आवश्यक[illegible] पास स्वयं की कृषि भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। प्रस्तावित मार्ग लघुतम है। चाहे गये मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में ठोस खण्डन नही किया है। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य अंकित नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा रास्ते की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम अंसरी के हाल खसरा 1231 में से 90 वर्ग मीटर, 1234 में से 450 वर्ग मीटर, 1233 में से 60 वर्ग मीटर व 1159 में से 280 वर्ग मीटर भूमि (15 फिट चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 1231 व 1234 में से रास्ते की भूमि के बदले 20186/ अक्षरे बीस हजार एक सौ छियासी रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु.रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested